

## दिनांक—03.05.2016 को सहरसा के जीविका कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का संबोधन

माननीय उर्जा एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण जनाब अब्दूल गफूर साहब, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग श्री चंद्रशेखर जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पी० के० ठाकुर जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव जनाब आमिर सुबहानी जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार जी, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी जी, कोशी प्रमंडल के आयुक्त सुश्री डी० एम० बिन्देश्वरी जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बालामुरुगन जी, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री उमाशंकर सुधांशु जी, कोशी के पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री चंद्रिका प्रसाद जी, सहरसा के जिलाधिकारी श्री बिनोद सिंह गुजियाल जी, मधेपुरा के जिलाधिकारी श्री सुहैल अहमद जी, सुपौल के जिलाधिकारी श्री बैद्यनाथ यादव जी, सहरसा के पुलिस अधीक्षक श्री अश्विनी कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका की दीदीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छायाकारगण, देवियों और सज्जनों। आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। प्रमंडल स्तर पर इस तरह से जीविका के द्वारा मद्य निषेध पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं भागलपुर गया था। प्रचंड गर्मी थी। भागलपुर का तापमान सर्वाधिक था। 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा था। और मुझे महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही थी। आज भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग को, उनके सचिव को, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को और कोशी प्रमंडल के सभी कलक्टर और अन्य अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि ये शानदार महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया मद्य निषेध के विषय पर। बिहार में महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी का निर्णय लिया। पिछले साल जूलाई महीने में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदीयों का एक कार्यशाला आयोजित था ग्राम वार्ता। और उसी में जब मैं अपनी बात रखने के बाद बैठ रहा था तो एक कोने से आवाज आई कि शराब बंद कर दीजिये। और मैं वापस माइक पर गया और हमने कहा कि अगली बार आयेंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और जो वचन हमने दिया। उसकी चर्चा गाँव गाँव

में हो गई। इसलिये जैसे ही लोगों ने फिर काम करने का मौका दिया। महागठबंधन को जबरदस्त समर्थन दिया और हमलोगों की सरकार बनी। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को हुआ। पिछले वर्ष 2015 में और 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस का कार्यक्रम था। यह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी भी शुरुआत हमने की 2011 से। शराब पर रोक नहीं थी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पहले भी जहाँ कहीं भी महिलायें शराब के खिलाफ आंदोलन चलाती थी। और मुझे जानकारी मिलती थी। मैं उनलोगों का समर्थन कर देता था। लेकिन शराबबंदी लागू नहीं थी बिहार में। तो जब हमने पिछली बार जूलाई में आश्वासन दिया। और जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित था। इसकी भी शुरुआत हमने करायी थी। शराब के खिलाफ वातावरण बने इसकी शुरुआत पाँच साल पहले हमने कराई थी। और उसी कार्यक्रम में हमने इस बात की घोषणा कर दी कि एक अप्रैल से हम लागू करेंगे और नई उत्पाद नीति बनेगी। एक अप्रैल से हम लागू करेंगे। और जब ये घोषणा हो गई तो उस दिन से निरंतर तैयारी की गई। शराबबंदी एक ऐसा निर्णय है कि हम निर्णय तो ले सकते हैं लेकिन उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना हो, तो सरकार और सरकारी एजेंसी को तो चौबीसों घंटों चौकस और सतर्क रहना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ इसके लिये जन-समर्थन आवश्यक है। शराबबंदी के खिलाफ अभियान आवश्यक है। और इसलिये इसकी शुरुआत हमलोगों ने इस सात जनवरी से ही कर दी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने, स्कूली बच्चों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के तौर पर इसको चलाया गया। और उस कार्यक्रम का एक अंग था कि हमारे स्कूल के बच्चे अपने अभिभावक से शपथ पत्र भरवायेंगे। वो अपने अभिभावक को कहेंगे आप लिख कर दे दीजिये शपथ पत्र कि हम शराब नहीं पीयेंगे। और दूसरों को भी नहीं पीने के लिये कहेंगे। यानि न पीयेंगे न पीने देंगे। और इस प्रकार के शपथ-पत्र पर मुझे खुशी है। यह अभियान जो शुरू किया गया। अनेक विभागों का अभ्यास करके इसको आयोजक विभाग बनाया गया शिक्षा विभाग को, जिसमें स्वयं सहायता समूह की दीदीयों, साक्षरता अभियान से जुड़े साक्षरताकर्मी, महिला सामख्या, हमारे टोला सेवक, तालीमी मरकज के स्वयंसेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा सबलोगों को इसमें और शिक्षिकाओं को भी सबको शामिल कराया गया। जबरदस्त अभियान हुआ। और बच्चों ने अपने अभिभावकों से कहना शुरू किया। और इस अभियान की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस अभियान के दौरान 31 मार्च तक 1 करोड़ 19 लाख अभिभावकों ने लिख कर दिया कि मैं शराब नहीं पीयूंगा। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा अभियान आजतक देश के किसी हिस्से में

नहीं चला है। एक करोड़ उन्नीस लाख लोगों ने लिखकर दिया। यह साधारण घटना नहीं हैं। लोगों को इतनी प्रेरणा मिली कि लगभग नौ लाख जगहों पर दिवारों पर नारे लिखे गये। साढ़े आठ हजार से भी ज्यादा जगहों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ। और मैं बधाई देता हूँ कला जत्था को इन लोगों ने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ये साधारण पैगाम नहीं है शराबबंदी का। शराबबंदी एक साधारण फैसला नहीं है। एक साधारण सरकारी फैसला नहीं है। यह निर्णय ऐसा है कि आपके सहयोग से यह बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है। और इसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी है। व्यवहार में कितना बड़ा परिवर्तन आया। हमने तो बिहार में बहुत कुछ करने की कोशिश की। सड़कें बनी। ये जो हमारा मिथिला का क्षेत्र दो हिस्से में बंटा हुआ कोशी के दो तरफ। उसको जोड़ने के लिये भी हमलोगों ने पहल की। सड़कों में सुधार लाने की कोशिश की। स्कूलों में सुधार, अस्पताल में सुधार, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार, हर तरह के कार्यक्रम चलाये। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हों। लेकिन यह जो परिवर्तन है शराबबंदी के चलते, वह बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। ये लोगों के व्यवहार और स्वभाव में परिवर्तन ला रहा है। क्या हालत थी। लोग शराब पी लेते थे। शराब पीकर घर लौटकर जाते थे। आपलोगों से ज्यादा किसको मालूम होगा। क्या कष्ट उठाना पड़ता था। जिसके घर में लोग मर्द लोग शराब पीते थे। लौट करके आ करके क्या उधम मचाते थे। अपनी कमाई को तो शराब में गंवा ही देते थे। अगर महिलायें भी दो पैसा कमाती थी परिवार की बेहतरी के लिये तो उनका पैसा भी छिनकर लोग शराब पी जाते थे। और कितना कोलाहल रहता था। कहीं भी जाइए शहर, कस्बे, गाँव में शाम होते होते कितना कोलाहल था। उधर से आवाज आ रही है उधर से हंगामा। ये आये दिन की घटना थी। और आज जाइये। गाँव में शांति है। शाम होते होते एकदम बिल्कूल शांति। जो वातावरण पहले गाँव का हुआ करता था। गाँव का वातावरण पहले जैसा हुआ करता था वैसा ही वातावरण आज भी हुआ करता है। और गाँव में शांति। झगड़ा नहीं। कोलाहल नहीं है। हंगामा नहीं है। मारपीट नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं। इससे बड़ा सामाजिक परिवर्तन और क्या होगा। ये लोगों के स्वभाव का परिवर्तन है। शहर, कस्बा में जाइये शादी-विवाह के दिन सौ फीट जाना है, दो सौ फीट जाना है, एक फर्लांग जाना है तो डेढ़ घंटा लगता था। लड़का सब ले लेता था और नाचता रहता था। सड़क पर कोई बारात जा रही है और इसी तरह से नाचते नाचते जा रहा है तो दोनों तरफ ट्रैफिक जाम। और लोगों को भारी दिक्कत। आजकल बारात जाता है तो कितना आराम से बाजा बजाते पहुंच जाते हैं। तो कितना बड़ा स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। और किसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो

उसकी तो बुनियाद पड़ गई। ये मामूली बात नहीं है। आप के चलते हुआ है। देखना है कि यह पूरे तौर पर कामयाब हो। कुछ लोग हैं देखिये बिहार में महिलाओं का समर्थन जरूर है, बच्चों का समर्थन जरूर है दूसरों का भी समर्थन शराबबंदी को मिला है। हमें तो अब सूचना मिल रही है जगह जगह से कि जो पीते भी थे। वो भी अब खुश हैं कि चलो अब अच्छा लगता है भर पेट खाते हैं बढ़िया लग रहा है। शराब पी करके जिस तरह से तैश में रहते थे। तो वैसे का भी अपार बहुमत का समर्थन प्राप्त है। चंद लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है। तरह तरह की बात करेंगे। गलत तरह का प्रचार करेंगे। और खास करके क्षमा किजियेगा ये जो कुछ अंग्रेजीदा लोग होते हैं। वो शहरों में वो कहेंगे साहब ये तो हमारी अपनी छूट थी। क्या मतलब, दूसरे को क्या मतलब, हम क्या खायें, क्या पीयें। और कहेंगे, क्या मतलब इसको बंद कर दिया। जब कानून हमने कड़ा बनाया तो कहा ये तो बड़ा ड्रायकोनियन लॉ है। ये बहुत कठोर कानून है। जगह जगह लोग बोलने लगे। तो कानून बनता काहे हैं किसी को सजा देने के लिये न दोषी को। कानून भी बनाइये और मुलायम कानून बनाइये तो फायदा क्या है। कानून बनाइये तो कड़ा कानून बनाइये। और कानून बनाइये तो ईमानदारी से, निष्पक्षता से और सख्ती से उसे लागू करिये। अब आप बताइये जो जहरीला शराब बनाते हैं। और जहरीला शराब बेच करके लोगों को पिला देंगे। लोग मर जायेंगे। और ऐसा शराब बनानेवाला और ऐसा शराब पिलानेवाला चैन की बंशी बजायेगा। इसलिये हमने कानून को कड़ा बनाया कि अगर कोई जहरीला शराब बनायेगा और बेचेगा। और लोगों की मौत होती है उसको पीने के बाद तो वैसे लोगों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया जायेगा। निर्दोष लोग मर जाये उपर चल जाये। और गड़बड़ धंधा करनेवाले लोग चैन से सोये रहे? अगर तुम ऐसा धंधा करोगे। उससे जो मरते हैं तो तुमको भी उपर भेजने का इंतजाम कर दिया जायेगा। फांसी के फंदा पर लटका दिया जायेगा। इसको कहते हैं ड्रायकोनियन लॉ कड़ा कानून। कानून कड़ा नहीं होगा तो मुलायम होगा कानून। आप बताइये जो लोग मर जाते हैं। इस तरह की शराब को पी करके। इसलिये हमलोगों ने कानून को कड़ा बनाया। शराब पी लिया और मचल करके हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो शराब पी करके हंगामा करियेगा तो आपको आराम से छोड़ दिया जायेगा कि शराब पी करके हंगामा करने का स्वाद चखाया जायेगा न। अंदर रहिये कुछ साल के लिये भीतर रहिये, तो कुछ लोग, ज्यादा नहीं अपार बहुमत, बेहिसाब बहुमत मैं तो कुछ अपवाद की बात कर रहा हूँ। गिनती के अपवाद है जो इसके खिलाफ हैं। तरह तरह के बहाना बनाकर इसके खिलाफ बोल रहे हैं। कानून तो बनेगा ही कड़ा। और दूसरी बात लोग कहेंगे कि हम क्या खायें, क्या पीयें। सरकार को क्या मतलब। ये देश संविधान से

चलता है। और देश के आजादी की लड़ाई लड़नेवाले हमारे राष्ट्र नायकों ने आजादी के बाद जो संविधान बनाया। उस संविधान में लिखा हुआ है। निर्देशक सिद्धांत है राज्यों के लिये। उसमें लिखा हुआ है कि राज्यों की जवाबदेही है वो लोगों के स्वास्थ्य पर, पोषण पर ध्यान दें। और इस दृष्टिकोण से शराब को बंद कराये। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य की जिम्मेवारी है कि शराब को बंद करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है। और न शराब का व्यापार करना मौलिक अधिकार है। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है वो चाहे जिस प्रकार का इस पर नियंत्रण लागू करें। क्योंकि संविधान में लिखा है हमलोगों की ड्यूटी है। अगर शराब नहीं बंद करेंगे। तो हम अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह माने जायेंगे। इसलिये हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। शराब पीना कोई अधिकार नहीं है भारत के संविधान के मुताबिक। इसलिये यह सब बकवास है। जो कहता है क्या खायें। उसपर कौन रोक है पानी पियो, शर्बत पियो, बेल का रस पियो। आम का जूस पियो। फल का जूस पियो, सब पियो। आजकल ताड़ी की बात हो रही है। कुछ लोग ताड़ पर जो चढ़ते हैं उनको बहका रहे हैं कुछ लोग। इसका मतलब तो है कि वह समुदाय का आदमी जीवन-भर उसका बाल बच्चा भी ताड़े पर चढ़ता रहेगा सब दिन। अपने छाती में घट्टा लगवाता रहेगा आ पैर में घट्टा लगवाता रहेगा। वो नहीं पढ़ेगा। और लोग के बाल बच्चे हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। और उस समुदाय का बाल बच्चा ताड़ के पेड़ पर चढ़ेगा। यह भी कोई बात हुई। बहकाते हैं बहकाते हैं। हमने उस समुदाय को कह दिया है कि इस बार भर तो छोड़ दिये। अंतिम बार बैशाखा आ गया होगा। गड़बड़ जगह पर यानि सार्वजनिक जगह पर बेचियेगा तो 1991 का बना हुआ दिशा निर्देश है। लेकिन अगले बार से अगला बैशाखा आने के पहले हम बहुत बड़ा उपाय करने जा रहे हैं। ताड़ का ताड़ी पीने की जरूरत नहीं है। जब ताड़ का जो रस निकलता है वो सवेरा होने के पहले नीरा है। स्वास्थ्य के लिये बहुत ही अच्छी चीज है। स्वास्थ्यवर्द्धक है। इसलिये सवेरा होने के पहले वह रस उतार के सब जगह से इक्कठा करा लिया जायेगा। और उसका फिर प्रसंस्करण करके उसको बोतलबंद करके नीरा के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। उसमें नशा नहीं है उसमें गुण ही गुण है। तमिलनाडू में, सबसे ज्यादा ताड़ का पेड़ है। हमने तमिलनाडू से संपर्क किया। वहाँ के कृषि विश्वविद्यालय में 25 साल से काम हो रहा है ताड़ पर। हमने सारी जानकारी ली, उनसे अनुरोध किया। उनके विशेषज्ञ भी आ रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक भी आ रहे हैं। सबके सलाह से इस पूरे साल के अंदर स्वयं सहायता समूह और सहकारिता के माध्यम से ये जो ताड़ का रस है। रात में ही भोर होते होते इक्कठा हो जायेगा। और फिर वैसे ही उसका प्रसंस्करण होगा जैसे

दूध का होता है। दूध का क्या होता है। इक्कठा किया जाता है। और उसके बाद उसका पाश्चराइजेशन होता है। अस्सी डिग्री पर उसको गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है चार डिग्री पर। उसके बाद दूध ठीक रह जाता है। उसी तरह से ये जो नीरा है। इसका भी ट्रीटमेंट होगा। उस पेय के रूप में लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नशा नहीं है। खराब तब होता है जब सूरज की किरण पड़ने के बाद दिन बीतने लगता है। तो उसमें नशा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो वो खराब है। उसके पहले स्वास्थ्य के लिये अच्छी चीज है। उसमें नशा नहीं है। तो आप उनको भड़का रहे हैं सिर्फ वहीं नहीं बारहों मास ताड़ से बहुत कुछ निकलता है। उसके फल से ले करके, उसके पत्ता से ले करके कर चीज का इस्तेमाल करायेंगे। और सालभर जिसके पास ताड़ का पेड़ है। ताड़ के पेड़ पर जिसकी जीविका है। जिसको ताड़ी से जोड़कर लोग देखते हैं। हम उसको ताड़ के पेड़ से जोड़कर देखते हैं। उससे बढ़िया आमदनी होगी। और जो हमारी योजना है जिसपर काम चल रहा है। उसके हिसाब से आज एक ताड़ के पेड़ से ताड़ी का कारोबार करने पर दो हजार रूपया का आमदनी है। तो जो हम उपाय करने जा रहे हैं अगला बैशाखा के समय से सालभर उससे आमदनी होगी। और एक पेड़ से छह हजार रूपये से ज्यादा की आमदनी होगी। आज जितना होता है उससे तिगुना होगा। हम उनके भलाई के लिये सोच रहे हैं। और उधर कुछ लोग भड़का रहा है। ये सबकुछ नहीं हैं। ये पीने पिलानेवालों की साजिश है। ये समझ लिजियेगा। हम लोगों के भले के लिये काम कर रहे हैं। ताड़ के पेड़ से जिनकी आजीविका जुड़ी है। उनकी भी चिंता मुझे है। और अगली बार से बता दे। इसमें सब लोगों को जोड़ेंगे। महिला, पुरुष सब को जोड़ेंगे। बेहतर आमदनी होगी और वह नशीला चीज भी नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्द्धक चीज होगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। हम काम करने में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग टांग खिंचने में लगे रहते हैं। बिना जाने, बिना समझे। तो जब हमलोगों ने निर्णय लिया है और आपके कहने पर निर्णय लिया है तब आपका दायित्व है कि इसके रास्ते में जितनी रूकावट आये। उस रूकावट को दूर करने में आपका अनवरत सहयोग मिलता रहे। सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा सो बताइये। हाथ उठा के बताइये। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से संकल्प लिजिये। अभी तो शुरू हुआ है। जो इसके खिलाफ होता है वह कहता है कि सफल कभी होता है। सफल होगा। बाहर से लोग पी के आ जायेगा। बाहर से शराब आ जायेगा। नकली शराब बनेगा। अरे नकली शराब रहने देंगे। इ सब काहे के लिये आप सब बैठे हुये है। जहाँ कोई गड़बड़ करें। तुरंत खबर करिये। ताकि कार्रवाई हो। आपको दिख जाये कि गड़बड़ कर रहा है तो स्वयं सहायता समूह की महिलायें इक्कठा हों। गड़बड़ करनेवाला भट्ठी चलाना

चाहता है। मिलके भट्ठी तोड़ दीजिये। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी को गड़बड़ करने नहीं देंगे। तरह तरह के करता है रेलगाड़ी में ला रहा है धरा रहा है। होटल में पी रहा था धरा गया। जमीन के नीचे गाड़ के रखा हुआ था निकल गया बाहर। ये सब आपलोग सूचना दे रहे हैं। स्त्रियाँ सूचना दे रही है। पुरुष भी सूचना दे रहे हैं। और इस सूचना के बदौलत त्वरित कार्रवाई हो रही हैं। एक एक थाना से हमलोगों ने लिखवा के ले लिया है कि उनके यहाँ कोई गड़बड़ काम नहीं हो रहा है शराब में। और डीजीपी साहब ने कह दिया है कि जहाँ गड़बड़ होगा। वहाँ के थानेदार तो नपेंगे तो नपेंगे ही दस साल तक उनको थाना का मुँह नहीं देखने दिया जायेगा। एक एक निर्णय लिया गया है। यहाँ कोई नहीं बख्शा जायेगा जो अगर गलत करेगा कानून का उल्लंघन करेगा। आपलोगों का सहयोग चाहिये। और बाहर जायेगा। बोर्डर पर आयेगा। झारखंड में, यूपी में, बंगाल में अभी चुनाव चल रहा है। लेकिन झारखंड हम जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाके पर ज्यादा शराब की दुकान खुलवाने के चक्कर में लोग हैं। यूपी भी जा रहे हैं। झारखंड भी जा रहे हैं। झारखंड में धनबाद में पहले तीस साल से महिलाओं का समूह शराबबंदी के लिये अभियान चला रहा था। वो सब महिलायें मेरे पास आयी। और उन्होंने कहा कि जो हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं। बिहार में आपने लागू कर दिया। हमलोगों का मनोबल उंचा हो गया। अब अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। झारखंड सरकार को भी बाध्य करेंगे कि वो भी शराबबंदी लागू करें। और कहा कि चलिये आप धनबाद में हमलोग सम्मेलन कर रहे हैं महिलाओं का। आप आइयेगा तो हमलोग का हौसला बढ़ेगा। मनोबल उंचा होगा। मैंने तत्काल उनके न्यौता को स्वीकार किया। और दस मई को जा रहे हैं धनबाद में। अरे वहाँ ये जो समझ रहे हैं कि शराब जो बिहार में बंद हो गया। तो झारखंड से बेच के कुछ कमाई कर लेंगे। वे गलतफहमी के शिकार हैं। झारखंड की जनता जग रही है। ऐसा माहौल बनेगा कि वहाँ की सरकार को आज न कल निर्णय लेने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। अरे बिहार में लागू हो गया। झारखंड में क्यों नहीं लागू होगा। लागू हो सकता है। बिहार में लागू हो गया यूपी में क्यों नहीं लागू हो सकता है। बिहार में लागू हो गया बंगाल में क्यों नहीं लागू हो सकता है। अगर इसी प्रकार से सब जगह लागू हो जाये। तो कहाँ से आयेगा। आसमान से टपकेगा। पेड़ का तो उपाय कर ही दिये सुना ही दिये आपको। इसलिये कहीं से नहीं मिलेगा। और अंत में लोगों को ऐसी परिस्थिति से वैसे लोगों को जो आज भी किसी न किसी प्रकार से सोच रहे हैं कि कोई गुंजाइश नजर आयेगी। वो गलतफहमी के शिकार हैं। हमलोगों ने निर्णय लिया है। सोच समझकर निर्णय लिया है। यह ऐसा निर्णय है कि इसमें चाहे कितनी भी रूकावट आये, कितनी भी बाधा आये। सब बाधा को आपके और

जन सहयोग से दूर करेंगे। और उसको कामयाब करेंगे। बिहार में कामयाब हैं तो आगे ये दूसरों जगहों पर भी कामयाब हो सकता है। फिर से नई कहानी लिखी जायेगी। और बिहार कर सकता है तो दूसरे राज्य भी क्यों नहीं कर सकते। इसलिये आवाज उठना शुरू हो गई। राजस्थान में महिलाओं ने तो पूरा का पूरा अपना आंदोलन तेज कर दिया। उड़ीसा से खबर आ रही है। अब तो चारों तरफ बात फैल रही है। यह आपकी सफलता है। आपकी सफलता है नारी शक्ति की सफलता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और अपने तेवर को इसी तरह बनाये रखियेगा। कहीं से दबियेगा नहीं। और पूरे मजबूती से। घर के पुरुष लोग भी आपका साथ दे रहे हैं और देंगे। सब मिलकर बिहार की तस्वीर बदलेंगे। बिहार की तकदीर बदलेगी। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है सामाजिक परिवर्तन है। इसको उदाहरण के तौर पर दूसरी जगहों पर पेश किया जायेगा, फिर से हमारा बिहार का गौरव बहाल होगा। ये ज्ञान की भूमि है। यहाँ से दुनिया को ज्ञान की रौशनी मिली है। फिर हम इस काम के जरिये ये संदेश देंगे। हमारे चाहे धर्मशास्त्रों में विश्वास करते हों। या जो हमारे बड़े मार्गदर्शक नेता हुये हैं उनके विचारों में विश्वास रखते हों। चाहे भगवान बुद्ध हों। इस्लाम धर्म के माननेवाले हों। हिन्दू धर्म को माननेवाले हों। जैन समाज के हों। किसी भी धर्म, मजहब को मानने वाले लोग हों। सब में कहा जाता है शराब बुरी चीज है। और गांधीजी तो इसके खिलाफ में अभियान चलाते थे। तो आज मुझे गौरव है कि गांधीजी आये थे सौ साल पहले चंपारण। और नीलहों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। नीलहों का अत्याचार वहाँ के किसानों पर था। उनके खिलाफ लड़ने के लिये आये और लड़ाई सफल हुई थी। और 1917 में जब बापू आये थे। जो आजादी की लड़ाई ने एक बड़ा रूप धारण किया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद तो सौ साल पूरा हुआ। गांधीजी का बापू का जो दूसरा सपना था शराबबंदी। वो उनके ही कर्मभूमि बिहार से शुरू हुआ है। और इस बार जो शुरू हुआ है तो थमेगा नहीं। आप सब का मनोबल उंचा रहे, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत काम किया जा रहा है। हमलोग का लक्ष्य है, दस लाख स्वयं सहायता समूह बने। एक करोड़ से भी ज्यादा इसके सदस्य होंगे। एक से डेढ़ करोड़ के बीच में उतने परिवार जुड़े हुये होंगे। और मुझे खुशी है, अरविन्द चौधरी जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं। जब उनलोगों ने स्वयं सहायता समूह को वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर शुरू किया था। उस समय भी जीविका का काम देख रहे बालामुरुगन जी को कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है। ये सब की रूचि है। इस सामाजिक क्षेत्र के विशिष्ट कार्यों में। तो कोशी प्रमंडल में इसकी शुरुआत हुई 2009 के बाद। आज इतना फैल रहा है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। कि हमारा



लक्ष्य पूरे बिहार में दस लाख समूह के गठन का है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुये उससे और आगे बढ़ जाये। हमारी यही तमन्ना है। स्वयं सहायता समूह गठित हो रहा है। महिलाओं में जागृति आ रही है। आत्मबल का भाव पैदा हो रहा है। आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रही है। परिवार की आमदनी में योगदान दे रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिहार बदलेगा। बदल रहा है। और ये जो बदलाव है। हर तरफ होगा। स्वयं सहायता समूह और आगे बढ़ेगा। जो महिलाओं में जागृति आयी है। सब बोल रही थी दीदीयाँ यहाँ से। चार दीदीयाँ बता रही थी वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। उनको कोई पहचानता नहीं था। वो किसी से बात नहीं कर पाती थी। आज हजारों लोगों के सामने माइक को लेकर वो भाषण दे रही हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण है। हमने स्वयं सहायता समूह की दीदीयाँ के साथ अनेक जगहों पर बातचीत की है पूर्णिया हो या गया। हर जगह हमने देखा। उनमें आत्मबल आया है। और सबसे बड़ी चीज हमने जब लड़कियों के लिये साइकिल योजना शुरू की। तो लड़कियाँ समूह में स्कूल तो जाने लगी। गाँव का नजारा बदल गया है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ वे स्कूल नहीं पहुँचने लगी। बल्कि उसके अरमानों को पंख लग गये। उसमें आत्मविश्वास का भाव जग गया। सबसे बड़ी चीज है आत्मबल और आत्मविश्वास। और इसके लिये मैं जो स्वयं सहायता समूह की दीदीयाँ को देखता हूँ बात करता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। क्योंकि हमलोग तो चाह रहे हैं बिहार की तरक्की। वो न्याय के साथ प्रगति है न्याय के विकास का रास्ता है। हर किसी को विकास का लाभ मिलें। अंतिम पायदान पर जो इंसान खड़ा है। उसको विकास की योजनाओं का लाभ मिलें। तभी विकास का कोई मतलब है। विकास का मतलब कुछ घरानों की संपत्ति बढ़ जाये। उसको विकास हम नहीं मानते। जबतक हर घर में विकास का लाभ न पहुँचे। तबतक वो विकास बेमानी है। और ये विकास का जो हमारा न्याय के साथ विकास का मार्ग है। उसकी महत्वपूर्ण कड़ी आप हैं स्वयं सहायता समूह, हमारी बच्चियाँ हैं। स्कूल में पढ़नेवाली, कॉलेज में पढ़नेवाली। और जान लीजिये। हमारा सात निश्चय है शराबबंदी के अलावे। उसके हिसाब से बारहवीं कक्षा के आगे पढ़नेवाली लड़कियों के लिये और पढ़नेवाले लड़कों के लिये भी। बारहवीं कक्षा के बाद जो नहीं पढ़ता था। घर की गरीबी के कारण हमलोगों ने तय कर दिया हर छात्र-छात्रा को, जो बारहवीं कक्षा के आगे पढ़ना चाहेगा या चाहेगी। उसको चार लाख रूपये का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवायेंगे ताकि वो बिना परिवार पर बोझ बने आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। वो कार्यक्रम भी हमारा दो अक्टूबर को पूज्य बापू महात्मा गाँधीजी के जन्मदिन से उसकी शुरुआत होगी। और यहीं नहीं जो लोगों का शिकायत होता है। हम दस साल

से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। डीएम, एसडीओ, बीडीओ सबको जनता के बीच में उनकी शिकायत सुनने के लिये प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम है सरकार का। हमलोगों ने तय किया कि ये सब करते तो जरूर हैं लेकिन यह अधिकार होना चाहिये समस्या का समाधान। शिकायत का निवारण। तो 5 जून से वो कानून भी लागू होगा। सब डिविजन में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और विभाग में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एक जगह जाइयेगा। दरखास्त दीजियेगा। आपको बुलावा जायेगा। जिससे शिकायत है उसको भी बुलाया जायेगा। अब आमने सामने बैठा करके समस्या का निराकरण कराया जायेगा। साठ दिन के अंदर। वो कानून भी बना दिया। तो आपका भरोसा और विश्वास है। हम इसी तरह का काम करते हुये बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो लोगों के सामने आया है। अद्भूत वातावरण बना है। इस वातावरण को और सुदृढ़ करना है। इस वातावरण को ढीला नहीं पड़ने देना है। यहीं एसपी साहब भी बैठे हुये है, ऐसा टाइट किजिये ,यहीं डीआईजी साहब भी बैठे हुये है। एकदम बोर्डर पर टाइट रहिये। कौन जायेगा उधर, पी पा के आयेगा तो सांस ब्रेथ एनालाइजर उसको कहते हैं। मुँह को सूँघ लेगा। उसी से पता चलेगा कि पी के आ रहे हैं कि क्या करके आ रहे हैं। सबको पकड़िये पूरा। ताकि कोई गड़बड़ करने जाये उधर आने लगे तो उसको पहचान कर लिजिये। अभी तो करेंगे इ सब। समीक्षा बैठक होगा अभी न। तो हमलोग अपनी तरफ से पूरे तौर पर मुस्तैद हैं। आपकी भी मुस्तैदी चाहिये। और हमारे पुलिस और प्रशासन की भी मुस्तैदी है। सबके सहयोग से बिहार में शराबबंदी सब दिनों के लिये कामयाब होगा। और देश के लिये वह एक मार्गदर्शक का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबलोग यहाँ इक्कठा हुये। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।